81

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1994 (भाद्र 23, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्रीमती सरला देवी पाठक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रत्नेश सालोमन, राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भोपाल की 17 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य, राजनांदगांव स्थित बंगलौर-नागपुर काटन मिल को कच्चा माल और आर्थिक सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रमेश शर्मा (गुड्डू भैया), ओंकार प्रसाद तिवारी, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल का एक हिस्सा गिरने के कारण जूनियर डॉक्टर्स के काम पर न आने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, बाबूलाल गौर, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पटकुई में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे जिन्दा जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नन्दकुमार सिंह चौहान, पूरनमल शर्मा, कुंवर विजय शाह, सदस्य, बुरहानपुर के निकट एक अन्तर्राज्यीय पुल के टूटने से यातायात प्रभावित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम कोसमपानी में माध्यमिक शाला खोले जाने,
(ख) ग्राम घुघरी में नल-जल योजना लागू करने,
(ग) ग्राम मवई में नल-जल योजना लागू करने,
(घ) ग्राम मोतीनाला में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा
(ड.) ग्राम मंगली में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) विलायत कला, रमगदा आदि ग्रामों में सिचाई हेतु शासकीय नल-कूप योजना की स्वीकृति दिये जाने,
(ख) ग्राम विलायत कला स्थित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को शासनाधीन लिये जाने, तथा
(ग) ग्राम झरेला में नल-कूप योजना लागू किये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ जिले के -

(क) ग्राम चौमों में सुखनई नदी पर स्टाप डेम-कम-रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम सेन्दरी के हरिजन आदिवासियों को आवंटित भूमि का आधिपत्य दिलाये जाने, तथा
(ग) ग्राम खिस्टोन के गोलाखिरक में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(4) डॉ. गौरीशंकर शैजवार, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) ग्राम भरदा-चंदौरा में प्राथमिक शाला खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम खडेरा में नल-जल योजना लागू कराये जाने,

(5) श्री प्रेम सिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के -

(क) ब्लाक लैलूंगा में महाविद्यालय खोले जाने, तथा
(ख) तमनार विकासखंड में केलो नदी पर पुल बनाये जाने,

(6) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा से मगर्धा मार्ग पर पुल-पुलियों का निर्माण कराये जाने,

(7) महन्त स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम लोधीपुरा के आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा दिये जाने,

के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

7. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की सभा (कोर्ट) के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो."

निर्धारित समय

8. वर्ष 1994-95 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

3 बजे तक श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 69, 72, 74 एवं 76 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ छियासी करोड़, उनसठ लाख, छिहत्तर हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय. "

30 मि.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1994 (क्रमांक 31 सन् 1994) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 28 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 29 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) श्री इन्द्रजीत कुमार, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 30 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. बाण सागर परियोजना के आंशिक संचालन की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द पाठक, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांकः 13 सितम्बर, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* अनुपूरक मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .